

Abhay kr. Singh

Misc token no.

Serial no.

Date

8634

27/6/19

Received from

Following fees:

F (I)-0

F (III)-0

G-0

F (IV)-0

G(a)-0

Total-

0 300/-

Registering Officer

को उनके बारे में उल्लेख हो।

संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार

प्रमाण-पत्र तैयार किया;

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की बांध प्रिन्ट व्यक्ति ने की;

(हस्ताक्षर): Shobha

(पदनाम): U.D.C

कार्यालय: Danapur

तारीख: 27/6/19



मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-49 के अधीन जो व्यक्ति (बाहरी) और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रयत्तियों देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों किन्हीं निबंधित दस्तावेजों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों को जरूरत हो उन्हें उल्लास स्वयं करनी होगी। निबंधित कार्यालय का धुतलान करने पर राहियों और अनुक्रमणियाँ उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद हुँद गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा हुँद गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की कूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधन: Danapur

ज्ञाप संख्या: 2228

दिनांक: 1/7/19

आवेदक श्री: Abhay kr. Singh, S/O Shobha Devi Singh

का अवधार प्रमाण-पत्र द्वारा: SPT, MIC Branch, Patna

का उनके पत्र संख्या: दिनांक: 21/6/2019 के प्रसंग में आधारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी,

27/6/19